

कार्यालय— नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद—भदोही

दिनांक 07.08.2024

पत्रांक 2665 / न0पा0परि0भ0 / 2024-25

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद भदोही में "15वाँ वित्त (टाइड ग्रान्ट) मद" के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से भैन्चुवल विधि के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है। सीलबंद निविदा दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 22.08.2024 तक कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में निविदा बाक्स में डाली जायेगी जिसे दिनांक 20.08.2024 अपराह्न 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.08.2024 तक निर्धारित मूल्य जमाकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं जानकारी नगर पालिका के वेबसाइट nppbhadohi.co.in तथा NIC के वेबसाइट एवं कार्यालय दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त की जा सकता है।

क्र० सं०	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GST सहित	घरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
15वाँ वित्त (टाइड ग्रान्ट) मद—					
1.	वार्ड नं० 02 मामदेवपुर पिपरी में सत्यनारायण द्विवेदी के मकान से रामलाल गौतम के मकान से बाबु नन्दन गौतम के मकान होते हुए श्यामलाल गौतम के मकान से रामलाल गौतम के मकान से तथा सोसाइटी के सामने से अमरनाथ पाल के मकान से व सुरेश गौतम के मकान से गंगाराम गौतम के मकान व कमलेश गौतम के मकान से राजनाथ गौतम के मकान तक व रामलाल गौड़ के मकान से अरविन्द दूबे के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.59	0.86	1180	03 माह
2.	वार्ड नं० 04 पकरी गंगापुर बिन्द बस्ती में मदन लाल बिन्द के मकान से कुमार बिन्द के मकान होते हुए सुर्ज बली बिन्द के मकान से राम प्रताप गुप्ता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.10	0.51	1180	03 माह
3.	वार्ड नं० 25 कजियाना स्टेशन रोड मस्जिद से मुल्ला तालाब वर्दान हास्पिटल तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.79	0.88	1180	03 माह
4.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० फततूपुर में विजय बहादुर के मकान से सुरेश यादव के मकान से महेन्द्र मिस्त्री के मकान होते हुए लालता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.34	0.23	1180	03 माह
5.	वार्ड नं० 09 जलालपुर उत्तरी मो० फततूपुर में राजकुमार गौतम के मकान से उदय राज गुप्ता के मकान से जोखू राम के मकान होते हुए राजपति गौतम के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.11	0.21	1180	03 माह
6.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में डिंगुर यादव के मकान से लोलारक यादव के मकान होते हुए पुन्नवासी गुप्ता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.16	0.12	1180	03 माह
7.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में गिरधारी के मकान से दीपक के मकान होते हुए कल्लन के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	2.03	0.20	1180	03 माह

8.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी बिन्द बस्ती में हुकूम चन्द के मकान से शिव के मकान से मोहन के मकान होते हुए बच्चन के मकान से कन्हैया के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.94	0.19	1180	03 माह
9.	वार्ड नं० 01 कुशियरा मो० हरियांव में हुबलाल के मकान से राजेश के गुप्ता के खेत होते हुए विजई गुप्ता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.08	0.11	1180	03 माह
10.	वार्ड नं० 20 जलालपुर दक्षिणी मो० हिम्मतपुर बकुचियां में रियाजू डायर के मकान से मल्ला के मकान से खुर्शिद के मकान से नयूद्दीन के मकान से शमीनूद्दीन के मकान से नावेद के मकान से कब्रिस्तान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.46	0.45	1180	03 माह
11.	वार्ड नं० 14 छेड़ीबीर में नागेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से सामुदायिक शौचालय अशोक गुप्ता के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.66	0.67	1180	03 माह
12.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी मो० हरीरामपुर में चौरा माता स्थल से सुरेन्द्र मौर्या के मकान से शोभनाथ राजभर होते हुए उमाशंकर राभर के मकान से लालजी राजभर के मकान से रवि यादव के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.35	0.64	1180	03 माह
13.	वार्ड नं० 11 हरियांव सिटी में राम विलास के मकान से लालचन्द के मकान तक व राहुल के मकान से रामपत्नी के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.08	0.11	1180	03 माह
14.	वार्ड नं० 15 मर्यादपट्टी पूर्वी में मेन रोड जायसवाल प्लाइवूड वाली गली से पिन्दु जायसवाल के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.17	0.12	1180	03 माह
15.	वार्ड नं० 22 चकसैफ मो० काजीपुर में फिरोज के मकान से मदरसा काजीपुर होते हुए आलमगीर के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.98	0.20	1180	03 माह
16.	वार्ड नं० 25 कजियाना मो० जानूसहीद में डॉ० श्याम खन्ना के मकान से इजहार के मकान होते हुए हैदर अली के मकान से हमीदुल्ला एण्ड संन्स के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	3.97	0.40	1180	03 माह
17.	वार्ड नं० 10 मर्यादपट्टी पश्चिमी मो० बन्धवा में अख्तर से मकान से रहमतउल्ला के मकान तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	1.99	0.20	1180	03 माह
18.	वार्ड नं० 12 घमहापुर मो० केशवा शहाबाबाद में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.32	0.83	1180	03 माह
19.	वार्ड नं० 17 पूरे रहीम मो० आलमपुर में रूही परवीन के मकान के पास में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.81	0.98	1180	03 माह
20.	वार्ड नं० 07 दरोपुर मो० गोपला बस्ती में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.09	0.61	1180	03 माह
21.	वार्ड नं० 24 पचभैया में 01 अदद 05 एच०पी० मिनी ट्र्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	9.73	0.97	1180	03 माह

22.	वार्ड नं0 15 मर्यादपट्टी पूर्वी मो0 धौरहरा बिन्द बस्ती में पावर हाउस से चन्दा के मकान तक 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	6.26	0.63	1180	03 माह
23.	वार्ड नं0 16 रजपुरा मो0 कंसरायपुर में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.43	0.84	1180	03 माह
24.	वार्ड नं0 11 हरियांव सिटी मो0 प्रजापतिपुर में गौतम बस्ती अंबेडकर मूर्ति के बगल में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.43	0.84	1180	03 माह
25.	वार्ड नं0 04 पकरी मो0 हिम्मतपुर बकुचिया नई बस्ती में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.43	0.84	1180	03 माह
26.	वार्ड नं0 28 जमुन्द में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा खुर्शीद साहबे आलम के मकान तक 200 मीटर पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.58	0.56	1180	03 माह
27.	वार्ड नं0 06 डुडवां कुकरौठी में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.61	0.86	1180	03 माह
28.	वार्ड नं0 22 चकसैफ में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	3.08	0.31	1180	03 माह
29.	वार्ड नं0 05 अहमदगंज में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	8.61	0.86	1180	03 माह
30.	वार्ड नं0 25 कजियाना बड़ी मस्जिद के पास 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी द्यूवेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	5.19	0.52	1180	03 माह

निविदा हेतु शर्त:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- निविदा की बिक्री कलेक्ट्रेट मुख्यालय भदोही/नगर पालिका परिषद भदोही में की जाएगी।
- उपरोक्त कार्यों की निविदा बाक्स/पेटी कलेक्ट्रेट मुख्यालय/नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पर रखी जायेगी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि की मूल प्रति निकाय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि की एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान को अनेक निविदाओं में संलग्न किए जाने पर संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
- शासनादेश की परिधि में सम्बन्धित कार्यालयों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री नियत तिथि तक की जायेगी तथा तदनुसार निविदा बाक्स में डाली जायेगी।
- निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं की जायेगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु

उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेंन्स शिक्वोरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।

13. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
(क) 100/- रु0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
(ख) 10/- रु0 के एकल गैर- न्यायिक स्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।
(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
15. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
16. निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने कि तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
17. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
18. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
19. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
20. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने कि अनुमति नहीं है।
21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
22. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
23. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
24. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
25. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC/314/8/DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्तें निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो निविदा पत्र के साथ दिया जायेगा।

(धर्मराज सिंह)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, भदोही

नरगिस अतहर

(नरगिस अतहर)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, भदोही

पत्रांक

प्रतिलिपि:—1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "अमर उदय" एवं "सोनाशिरा" दिनांक 07.08.2024 को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में एक दिन के अंक में न्यूनतम सम्भावित कालम एवं छोटे अक्षरों में प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र भदोही को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त "मैनूवल निविदा" को एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, भदोही